चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 10.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 10.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में आगामी होली त्यौहार व रमजान को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह के मार्दर्शन में उ0नि श्री कन्हैया बक्श सिंह,उ0नि0 श्री इमरान खान व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त संतोष निषाद उर्फ बबुआ पुत्र ललवा निवासी ग्राम रगौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 01 किलो 400 ग्राम सूखा नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>बरामदगी-</u>

1 किलो 400 ग्राम सूखा गांजा

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1.उ0नि श्री कन्हैया बक्श सिंह थाना राजापुर

2.उ0नि0 श्री इमरान खाँ थाना राजापुर

3.मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार

4.आरक्षी उज्जवल पाण्डेय

5.आरक्षी शाकिर अली

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में होली त्यौहार के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री पवन चौधरी व उनकी टीम एवं आबकारी निरीक्षक श्री नीरज वर्मा की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्ता माया देवी पत्नी छोट्टन निवासी माधवगंज कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 01 अदद प्लास्टिक की पिपिया में 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व 01 बोतल में 100 ग्राम लहन सहित शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्ता के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

<u>बरामदगीः-</u>

1. शराब बनाने के उपकरण
2. 20 लीटर अवैध कच्ची शराब
3. एक बोतल में 100 ग्राम लहन

<u>गिरफ्तारी करने वाली आबकारी टीमः-</u>

1.आबकारी निरीक्षक नीरज वर्मा

2.आबकारी आरक्षी सरताज

3.आबकारी आरक्षी सनमार सिंह

4.आबकारी आरक्षी लालचन्द्र सरोज

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम</u>

1.उ0नि0 श्री पवन चौधरी थाना राजापुर

2.आरक्षी विमलेश

3.आरक्षी उज्जवल पांडेय

4.आरक्षी बुद्धसेन विक्रम
5.आरक्षी शिवधनी
6.आरक्षी शिवम मिश्रा
7.महिला आरक्षी दीक्षा यादव

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्दशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट चित्रकूट पुलिस ने 04 अभियुक्तों को 30 लीटर अवैध कच्ची शराब व 25 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।
(i) उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह चौकी प्रभारी गनीवा थाना राजापुर मय हमराह मुख्य आरक्षी वीरेन्द्र कुमार व आरक्षी रामकेश द्वारा अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ ज्वाला पटेल पुत्र जगपत पटेल निवासी रमपुरिया पतेरे मजरा हरदौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 25 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(ii). उ0नि0 श्री अनूप कुमार शुक्ला थाना मऊ मय हमराह आरक्षी सोनपाल द्वारा अभियुक्त अजमत उल्ला पुत्र शकूर अहमद निवासी वियावल थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(iii) उ0नि0 श्री ओमप्रकाश सिंह थाना मऊ मय हमराह आरक्षी प्रवीण पाण्डेय द्वारा अभियुक्त शिवमंगल सिंह पुत्र मजरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम वियावल थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(iv) मुख्य आरक्षी कमलाकान्त द्विवेदी थाना मानिकपुर मय हमराह आरक्षी अजीजउद्दीन व आरक्षी सुजीत कुमार यादव द्वारा अभियुक्त लवकुश पुत्र सुखलाल निवासी सिगवा कोटा कंडैला थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(6). आज दिनाँक-10.03.2025 को राघव प्रेक्षागार पुलिस कार्यालय सोनेपुर में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में SJPU (विशेष किशोर पुलिस इकाई)/ CWC (बाल कल्याण समिति)/AHTU (एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) की मासिक गोष्ठी आयोजित की गयी। इस गोष्ठी समस्त थानों के पुलिस बाल कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि विधि का उल्लंघन्न करने वाले बालक तथा पीड़ित की जन्मतिथि का सत्यापन आधार कार्ड से न करके विद्यालय के अंक-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, नगर निकाय, नगर पालिका या मेडिकल परीक्षण कराकर किया जाए। बाल कल्याण इकाई को बताया गया कि यदि कोई नाबालिक पीड़ित/पीड़िता है और उसके साथ कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है तो ऐसी स्थिति में बाल कल्याण इकाई के सदस्य द्वारा स्वयं वादी बनकर अभियोग पंजीकृत कराया गया। पीड़िता का तत्काल समय सीम के अन्दर विधि के अनुरुप मेडिकल परीक्षण कराया जाये तथा आर्थित रुप से कमजोर पीड़िताओं को शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिलायें। SJPU(विशेष किशोर पुलिस इकाई), CWC (बाल कल्याण इकाई) के कार्यो एवं एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग(AHTU) के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। बाल विवाह पर रोक लगाया जाये तथा जनपदीय गठित टीम द्वारा

भ्रमण कर बालकों से कराये जा रहे श्रम को प्रतिबंधित कराया जाये और जिनके द्वारा श्रम कराया जा रहा है उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करायी जाये।

इस गोष्ठी में जिला प्रोबेसन अधिकारी द्वारा बताया गया कि विधि का उल्लंघन्न करने वाले बालकों से अपराधी के तरह व्यवहार न किया जाये, गोष्ठी में उपस्थित सभी बाल कल्याण अधिकारी एवं सदस्यों को बताया गया कि गुमशुदा बच्चों के बरामद होने के बाद उन्हे CWC के सुपुर्द करें, CWC बच्चे के परिजनों की पहचान कर उनके परिजनों के सुपुर्द करेगी। यदि कोई नाबालिक आत्महत्या का प्रयास करता है तो पुलिस ऐसे नाबालिक बच्चो को CWC के सुपुर्द करें एवं CWC ऐसे बच्चों की काउंसलिंग के पश्चात जानकारी करें कि उनके द्वारा ऐसा प्रयास क्यों किया गया है इसके बाद बाद ही परिजनों के सुपुर्द किया जाये।

इस गोष्ठी में क्षेत्राधिकारी राजापुर जय करन सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना एएचटीयू श्री शिवमूरत, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन प्रभारी श्री जयप्रकाश उपाध्याय, अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह व जनपद के बाल संरक्षण से सम्बन्धित अन्य विभागों के सदस्य व अधिकारी/कर्मचारीगण तथा समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी उपेंद्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार व मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 10.03.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 609/2012 धारा 323,324,308,304,34 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. बुधुवा उर्फ बुद्धविलास पुत्र डेबरा उर्फ चुन्ना 2. राजबहादुर पुत्र बुधुवा उर्फ बुद्धविलास 3. रामदयाल पुत्र छोटा चमार 4. सुन्ता देवी पत्नी बुधुवा उर्फ बुद्धविलास निवासीगण छेछरिहा खुर्द थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 05-05 वर्ष का कारावास व 8000/-8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 17.11.2012 को वादी रामानन्द शुक्ला पुत्र श्री रामकिशोर शुक्ला निवासी छेछरिहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने सूचना दी थी कि अभियुक्तगणों द्वारा एक राय होकर कुल्हाड़ी,लाठी डण्डा व फावड़ा से मारपीट करना जिससे वादी के पिता रामकिशोर शुक्ला की चोट आने के कारण बेहोस हो जाना। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 609/2012 धारा 323,324,308,304,34 भादवि0 बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री विजय सिंह भदौरिया द्वारा की गयी थी। उ0नि0 उपरोक्त द्वारा आरोपियों के विरुद्ध दिनाँक 08.02.2013 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।